Fresh File- Alld Ass.

अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच (अभाशिअम)
और उत्तर प्रदेश के साथी संगठनों द्वारा आयोजित
समान शिक्षा व्यवस्था और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फ़ैसला
इलाहाबादः 9 अप्रैल, 2016

दिनांक एवं समय

शनिवार, 9 अप्रैल, 2016, प्रातः 09.30 से सायं 06.30 बजे तक

सम्मेलन के बाद सायं 07.30 तक रैली एवं जनसभा

सम्मेलन स्थल

साधना सदन, 1 ताशकन्त रोड, सेंट ज़ोजफ कॉलेज गेट के सामने, इलाहाबाद–211 001

विशेष आमंत्रित वक्ता

न्यायमूर्ति ए.पी.शाह, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय
श्री अशोक वाजपेयी, प्रतिष्ठित हिंदी कवि व आलोचक
श्री शम्शुल रहमान फ़ारुकी, प्रतिष्ठित उर्दू कवि

सम्पर्क सूत्र : आयोजन समिति

श्री मनोज त्यागी, सह समन्वयक, मो. 09415279612, ई–मेलः di.bachao.andolan@gmail.com
प्रोफेसर महेश विक्रम सिंह, सह समन्वयक, मो. 09415353120, ई–मेलः mvs276@gmail.com
डॉ. नीता चौबे, सचिव, मो. 09415372123, ई–मेलः drneetachaubey@gmail.com

देशव्यापी भागीदारी का आवाहन

18 अगस्त 2015 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल की एकल बेंच ने प्राथमिक शिक्षा के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसे राज्य द्वारा सभी बच्चों को बगैर किसी भेदभाव के गुणवत्तायुक्त समतामूलक शिक्षा देने की संवैधानिक जिम्मेदारीजवाबदेही के संदर्भ में हस्तक्षेप का एक अहम कदम कहा जाना चाहिए। एक ओर, इस नवउदारवादी पूँजीवादी दौर में शिक्षा का ख़तरनाक तरीके से निजीकरण व बाज़ारीकरण किया जा रहा है, शिक्षा–शुल्क बेतहाशा बढ़ता जा रहा है, पब्लिक–प्राइवेट–पार्टनरशिप (पीपीपी) के नाम से चलाई जा रही योजनाओं के ज़रिए सार्वजनिक धन को पिछले दरवाजे से बड़े कारोबारियों व कॉरपोरेट घरानों के हवाले किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपा या निजी क्षेत्र में मिलाया जा रहा या उन्हें बन्द किया जा रहा है तथा शिक्षकों और गैर शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्तियों में ठेका व्यवस्था जोर पकड़ चुकी है। दूसरी ओर, नवउदारवादी पूँजीवाद को चुनौती देते हुए यह फैसला सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की परिवर्तनकामी जरूरत में भरोसा जताने का ऐतिहासिक तकाज़ा है।

नवउदारवादी अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों से एकदम हटकर माननीय न्यायाधीश अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देशित किया कि वह छः महीने के भीतर यह सुनिश्चित करे कि सभी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी (आईएस, आईपीएस आदि), जनप्रतिनिधि (सरपंचों से लेकर विधायकों व मुख्यमंत्री तक) तथा सरकारी से किसी भी रूप में लाभान्वित होने वाले लोग (सलाहकार, ठेकेदार, सरकारी वकील आदि) प्राथमिक शिक्षा (बेसिक शिक्षा) लेने की उम्र के अपने बच्चों को केवल उ.प्र. बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा स्थापित एवं संचालित स्कूलों में ही भेजें। साथ ही माननीय न्यायालय ने सरकार को इस फैसले का अनुपालन न करने वाले लोगों के खिलाफ़ दण्डात्मक कार्रवाही करने के लिए भी कहा है। न्यायालय ने यह उम्मीद जताई है कि जब सत्ताधारी वर्ग के बच्चे 'सामान्य लोगों के स्कूलों' में पढ़ने जाएंगे तो नीति निर्माता भी इन संस्थाओं के विद्यार्थियों हितों को गम्भीरता से लेने के लिए मजबूर होंगे। इसके साथ ही, एक बार जब इन सरकारी स्कूलों का स्तर सुधर जाएगा तो अन्य माता–पिता/अभिवावक भी अपने बच्चों को महंगे या उच्चवर्गीय निजी स्कूलों में भेजने के बजाय इन्हीं स्कूलों में पढ़ाना पसन्द करेंगे। जब विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे एक साथ पढ़ाए जाएंगे तो यह एक सामाजिक क्रांति ही होगी। न्यायालय ने 'सामान्य लोगों के स्कूलों' में योग्य अध्यापक की नियुक्ति के विषय को भी गम्भीरता से लिया जहां आज की सरकारें आम लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिए अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित गैर–अध्यापकों (पैरा–टीचर्स) की ठेकेनुमा बेतुकी नियुक्तियों में लगी हुई हैं।

'अभाशिअम' ऐसा मानता है कि इस फैसले के समर्थन में बिना और देर किए एक जोरदार राजनीतिक अभियान चलाए जाने की ज़रूरत है। इस फैसले की पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में 'समान स्कूल व्यवस्था' की मांग को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाना जनता की ओर से सटीक हस्तक्षेप होगा। इसकी शुरुआत इलाहाबाद में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय सम्मेलन से ही हो जानी चाहिए। **'अभाशिअम'** उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से इस सम्मेलन के लिए सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को आमंत्रित करता है जो यहां से लौटकर अपने–अपने जिले में इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जिला समितियों का गठन करेंगे। इस अभियान को अखिल भारत स्वरूप देने के लिए अन्य प्रदेशों से भी प्रतिनिधियों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानित सहमना और हमराही नागरिकों यथा ऐसे बौद्धिकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, डाक्टरों, पत्रकारों व अन्य पंशेवरों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, साहित्यकारों, ट्रेड यूनियन नेतृत्व, वकील एवं जजों को भी चिन्हित करना चाहते हैं जो इस मुद्दे को देश भर में ले जाने के लिए तैयार हों। ऐसे सभी उपायों से हम एक ऐसा राष्ट्रव्यापी अभियान खड़ा कर सकते हैं जो एनडीए की वर्तमान केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई जा रही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उस नवउदारवादी एजेण्डे का पर्दाफ़ाश करेगा जिसमें कोठारी आयोग द्वारा 1966 में सिफ़ारिश की गई और भारत सरकार द्वारा अपनाई गई 'समान स्कूल व्यवस्था' के सामाजिक सन्तुलन के सिद्धान्त को ही पलटा जाना शामिल है। यह राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे इस विषय के अनेक विशेषज्ञ सम्बोधित करेंगे, उन सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर होगा जो आज की सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा को बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हम ऐसे सभी लोगों और संगठनों को इस ऐतिहासिक सम्मेलन में भाग लेकर इसे सफल बनाने के लिए एकजुट कर रहे हैं जो शिक्षा के बाज़ारीकरण और सम्प्रदायीकरण तथा वर्ग, जाति, लिंग, विकलांगता, भाषा, क्षेत्र, सम्प्रदाय और धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव के विरुद्ध हमारे संविधान में निहित समानता, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों में विश्वास रखते हैं, जो बहु भाषाभाषी सन्दर्भों के बीच अपनी

मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने और पूरी तरह राज्य द्वारा वित्त पोषित पड़ोसी स्कूल की अवधारणा पर टिकी हुई मुफ़्त 'समान स्कूल व्यवस्था' के समर्थक हैं।

आइए, देश की शिक्षा व्यवस्था को गैर–बराबरी व भेदभाव से मुक्त करने और बाज़ारीकरण व सांप्रदायीकरण के हमलों से बचाने के लिए एकजुट हों!

"शिक्षित बनो ! संघर्ष करो ! संगठित हो !" – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर